[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0 46/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, एकीकृत कर (दर), दिनांक 28जून 2017 , जिसे सा0का0नि0 670 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक

6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक,शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (सक्बोल्ड)"।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी ।

[फा0 सं0.354/320/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 5/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 670(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग -।।, खंड -3, उपखंड (I) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2017 -एकीकृत कर (दर)दिनांक 22 सितम्बर, 2017, जिसे साकानि 1191 (अ) दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।